

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

प्रा.पत्र/ सरफेसी/93/2025

स्वतंत्र माइक्रो हाउसिंग फाइनेन्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय 1,2,3 एवं 4 ग्राउण्ड फ्लोर, पुष्पक सीएचएसएल, मालवीय रोड, विले पार्ले (ईस्ट), मुम्बई महाराष्ट्र 400057 द्वितीय कार्यालय बी-118, मंगल मार्ग, बापू नगर, जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी वीरेन्द्र सिंह

....प्रार्थी/प्रतिभूति लेनदार

बनाम

1. स्व० श्री मोरध्वज सिंह
2. श्रीमती राजेन्द्री पत्नि स्व० श्री मोरध्वज सिंह
निवासी पट्टा नं. 098, बुक नं. 23 ग्राम पंचायत नयाबास, पंचायत समिति नदबई जिला भरतपुर राज0321614

.....ऋणी/सहऋणी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रीकनस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेन्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ इन्टरेस्ट एक्ट 2002 एतद् पश्चात 'एक्ट' से संबोधित किया गया है बंधक सम्पत्ति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

आदेश

दिनांक 15.04.2026

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूतिकरण प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि अप्रार्थीगण/ऋणी ने प्रार्थी बैंक से दिनांक 22.07.2024 को जरिए ऋण अनुबन्ध खाता संख्या LAP-072-025 से ऋण राशि रु. 2,64,756/- (शब्देन दो लाख चौंसठ हजार सात सौ छप्पन रुपये मात्र) का ऋण स्वीकृत एवं 2,50,000/- (शब्देन दो लाख पचास हजार रु. मात्र) वितरित किया गया था। उक्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थी० ने अपनी आवासीय सम्पत्ति पट्टा नं. 098, बुक नं. 23, ग्राम पंचायत नयाबास, पंचायत समिति नदबई, भरतपुर राज० में स्थित है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित हैं, जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग हैं। जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 126.66 वर्गगज है। जिसकी चतुर्थ सीमाएँ इस प्रकार हैं उत्तर में आम रास्ता, दक्षिण में हरि का मकान, पूर्व में पुराना मकान अमरचन्द, पश्चिम में पवन का मकान है जो अप्रार्थी०/ऋणी श्रीमती राजेन्द्री पत्नि स्व० श्री मोरध्वज के क्षेत्राधिकार में स्थित है। ऋण के ऐवज में बंधक रखी गई उक्त सम्पत्ति जिसको प्रार्थी बैंक/फाइनेन्स कम्पनी के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था पर कब्जा दिलाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।


.....2

**जिला कलक्टर
भरतपुर**

अप्रार्थी० के द्वारा ऋण राशि एवं ब्याज राशि नियत समय अवधि में जमा नहीं कराई गई, जिसके कारण प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी/ऋणी के ऋण खाता को दिनांक 05.08.2025 को एन.पी.ए. (अनर्जक परिसम्पत्ति) घोषित कर दिया गया। प्रार्थी बैंक के दिनांक 12.08.2025 तक कुल बकाया राशि 1,02,249/- (शब्देन एक लाख दो हजार दो सौ उनन्चास रु. मात्र) एवं आगे का ब्याज व अन्य खर्च, अप्रार्थी० पर बकाया निकलता है। जिसको अप्रार्थी० ऋणी के द्वारा जमा नहीं कराया गया है। प्रार्थी बैंक/फाइनेन्स कम्पनी द्वारा एक्ट की धारा 13 (2) का रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 12.08.2025 को अप्रार्थी० को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किया गया, जो अप्रार्थी./ऋणी को दिनांक 26.08.2025 को ट्रेक रिकार्ड अनुसार डिलीवर्ड हुआ है। साथ ही दिनांक 18.09.2025 के दैनिक समाचार पत्र में भी प्रकाशन कराया गया और उनसे आग्रह किया गया कि वह इस नोटिस की प्राप्ति के 60 दिवस के अन्दर समस्त बकाया रकम को मय ब्याज अदा करें। किन्तु अप्रार्थी० द्वारा निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी कोई राशि जमा नहीं की गई है। बैंक द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बावजूद भी ऋणी द्वारा ऋण राशि अदायगी नहीं की गई है। प्रार्थना पत्र सरफेसी स्वीकार किया जाकर ऋण सुविधा प्राप्त करते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिये पुलिस की सहायता उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण ने उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के एवज में अपनी उपर्युक्त सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था। प्रार्थी बैंक द्वारा एक्ट की धारा- 13(2) का नोटिस रजिस्टर्ड दिनांक 12.08.2025 को अप्रार्थी० को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किया गया। नोटिस रिसीव्ड होने के उपरान्त नोटिस की निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी अप्रार्थीगण द्वारा बकाया राशि जमा नहीं की गई है। बैंक द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बावजूद भी अप्रार्थी० ऋणी द्वारा ऋण राशि अदायगी नहीं की गई है। बैंक के द्वारा बसूली हेतु सभी तरह के प्रयास के बावजूद राशि नहीं चुकाने पर अन्तिम रूप से सिव्थोरिटाईजेशन एण्ड रीकनस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेन्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ इन्टरेस्ट एक्ट 2002 अन्तर्गत धारा 14 के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थी०/ऋणी/सहऋणी के द्वारा ऋण सुविधा लेते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त अचल सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने के लिये पुलिस सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया जाना उचित पाते हैं।

.....3


जिला कलक्टर
भरतपुर

अतः आदेश है कि :-

अतः प्रार्थना-पत्र सरफेसी एक्ट स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक से ऋण सुविधा लेते समय उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अपनी अचल सम्पत्ति आवासीय सम्पत्ति पट्टा नं. 098, बुक नं. 23, ग्राम पंचायत नयाबास, पंचायत समिति नदबई, भरतपुर राज0 में स्थित है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित हैं, जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग हैं। जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 126.66 वर्गगज है। जिसकी चतुर्थ सीमाएँ इस प्रकार हैं उत्तर में आम रास्ता, दक्षिण में हरि का मकान, पूर्व में पुराना मकान अमरचन्द, पश्चिम में पवन का मकान है जो अप्रार्थी0/ऋणी श्रीमती राजेन्द्री पत्नि स्व0 श्री मोरध्वज के क्षेत्राधिकार में स्थित है। ऋण के ऐवज में बंधक रखी गई उक्त सम्पत्ति जिसको प्रार्थी बैंक/फाइनेन्स कम्पनी के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था। उसका भौतिक कब्जा लेने हेतु प्रार्थी बैंक को जरिये प्रतिनिधि अधिकृत किया जाता है। निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जावे।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर
भरतपुर